.

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 17.01.2023 को थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत फाइनेंस कम्पनी एजेंट से लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 05 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से लूट/छिनैती के 47 हजार रूपये/बैग व कागजात तथा घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल सहित कुल 02 मोटरसाइकिल, तीन पिस्टल/तमंचा व अन्य सामान बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.01.2023 को स्वाट टीम व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ब्राह्मणपुरा चौराहे से कुछ दूरी पर मसंडी रोड पर समय लगभग 11:30 बजे दो मोटसाइकिल सवार पांच अभियुक्तों को घेरबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 47 हजार रूपये, एक बैग, आईकार्ड/कागजात व तीन पिस्टल/तमंचा व चार जिंदा/खोखा कारतूस व पांच मोबाइलफोन बरामद किया गया।

पूछताछ में उनका नाम क्रमशः सुशील कुमार गौतम उर्फ साधू पुत्र सभाष राम निवासी अकबरपुर तड़वा थाना रानीपुर, शिवम चौहान उर्फ परमहंस पुत्र रविन्द्र चौहान निवासी चैनपुर थाना रानीपुर, रोहित कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी अकबरपुर थाना रानीपुर, बालेश्वर राजभर उर्फ डोली पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी अकबरपुर थाना रानीपुर, रविन्द्र राम पुत्र रामू राम निवासी अकबरपुर तड़वा थाना रानीपुर ज्ञात हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.01. 2022 को हम लोगो द्वारा ही फाइनेंस कम्पनी एजेन्ट से लूट की घटना कारित की गयी थी। इस घटना में हम तीन लोग सुशील, परमहंस व रोहित थे तथा एक अन्य साथी मृत्यूंजय पुत्र राजेश राजभर निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर रास्ते मे आगे असलहा लेकर खड़ा था जो रास्ते में पुलिस से हमारी रक्षा करता तथा बालेश्वर व रविन्द्र द्वारा मुखबिरी की गयी थी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 08/23 धारा 392 भादवि0 में धारा 411,120बी की बढोत्तरी किया गया तथा मु0अ0सं0 10/23 धारा 307,504 भादवि0 व धारा 3/25 आयुद्ध अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद मोटरसाइकिल वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सुशील कुमार गौतम उर्फ साधू पुत्र सभाष राम निवासी अकबरपुर तड़वा थाना रानीपुर।
2. शिवम चौहान उर्फ परमहंस पुत्र रविन्द्र चौहान निवासी चैनपुर थाना रानीपुर।
2. रोहित कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी अकबरपुर थाना रानीपुर।
3. बालेश्वर राजभर उर्फ डोली पुत्र वीरेन्द्र राजभर निवासी अकबरपुर थाना रानीपुर।
4. रविन्द्र राम पुत्र रामू राम निवासी अकबरपुर तड़वा थाना रानीपुर।

बरामदगी–

1. लूट/छिनैती के 47 हजार रूपये, एक बैग, आईकार्ड व अन्य कागजात।
2. लूट की घटना में सामिल एक अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 54 एपी 9027।
3. एक हीरो ग्लेमर मोटरसाइकिल।
4. एक पिस्टल 32 बोर व एक जिंदा कारतूस।
5. एक तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस।
6. एक तमंचा 315 बोर व दो जिंदा/खोखा कारतूस।
7. पांच अदद मोबाईल फोन।

गिरफ्ताकर्ता पुलिस टीम–

अमित मिश्रा **थानाध्यक्ष कोपागंज/प्रभारी स्वाट टीम,** हे0का0 धमेन्द्र सिंह, हे0का0 चन्दन सिंह, का0 पंकज सिंह, का0 अविनाश धर दुबे, का0 विराट पटेल, का0 राजेश यादव, का0 संजय सिंह, का0 विशाल सिंह, हे0का0 चा0 नागेन्द्र सिंह **स्वाट टीम मऊ।**

राजेश कुमार प्रभाकर **थानाध्यक्ष रानीपुर,** उ0नि0 अजित दुबे मय हमराहियान **थाना रानीपुर।**

हे0का0 विवेक सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम, हे0का0 संजय सिंह, का0 बृजेश मौर्य **सर्विलांस टीम मऊ।**

.

05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 364/22 धारा 147,323,504,506,308 भादवि में वांछित अभियुक्त अश्वनी पुत्र सूर्यदेव, कोमल पुत्र स्व0 दुखंती, सूर्यदेव व सत्यदेव पुत्रगण हीरा निवासीगण लसरा व कृष्णा उर्फ गोलू पुत्र बहादुर निवासी इशहाकपुर थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान उम्मनपुर बार्डर के पास से रामकिशुन पुत्र मनोज निवासी चलिसवां थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 15 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 20/23 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 12 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 20.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मुक्खू व विरेन्द्र निवासीगण सिकड़ीकोल, अजय कुमार निवासी परसिय व सतीश गुप्ता निवासी जजौली थाना मधुबन व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा सुतीता देवी, शारदा देवी, सतिमा देवी व शोभा देवी निवासीगण नसीराबाद, नित्यानंद, विवेक सिंह निवासीगण हलधरपुर व प्रह्लाद निवासी इटौरा थाना हलधरपुर व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा पंकज कुमार निवासी तितलीबोझ व वारंटी अभियुक्त सुरेश पुत्र लालधारी निवासी बरहती जगदीश थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।